



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GR 136960

(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम मनोज कुमार अध्यक्ष व अशोक कुमार सचिव कमरा: ट्रस्ट व पता हरिपाल शस्त्री एजुकेशन एण्ड सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट शस्त्री नगर गाजियाबाद शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि-

1 यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा हरिपाल शस्त्री फार्मसी कालेज संस्था का नाम व पता नूरपुर अमरोहा रोड फीना (बिजनौर) नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2 यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम हरिपाल शस्त्री फार्मसी कॉलेज फीना अमरोहा रोड पर स्थित है जिसकी भूमि गाटा संख्या 286 एवं 287 एकबा कमरा: 1,560 हेक्टेयर भूमि है।

3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 286 एवं 287 एकबा कमरा: 1,560 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट बैठक दिनांक 29/08/2021 द्वारा पारित किया गया है।

5 यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रशंगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8 यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो अनी पूर्व में किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लासरूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11 यह कि संस्था का संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाईटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली-भाँती पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की प्ररीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी-की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

ATTESTED

Bal Karan Singh, Advocate  
NOTARY  
BHNOR. ( U. P. )